

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 28/17 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 2 मुख्यालय बज्जु

—प्रार्थी

: ब ना म :

जगन्नाथ पुत्र रिछपाल चमार साकिन पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर

—अप्रार्थी

उपस्थिति:-

1. श्री विभागीय प्रतिनिधि - प्रार्थी हाजिर।
2. श्री विजय भादाणी अधिवक्ता- अप्रार्थी।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975



: आदेश :


दिनांक 11.03.2020

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 2 मु. बज्जु ने यह प्रकरण दिनांक 28.06.2013 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी जगन्नाथ पुत्र रिछपाल चमार साकिन पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर को आवंटित भूमि चक 9 एमआरएम के मु.नं. 230/45 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियम विरुद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।
2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।
3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। दिनांक 04.06.07 को किये गये आवंटनों में आवंटन पर्ची पर सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसलिए आवंटन संदिग्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी को विनिमय में आवंटन किया गया। विनिमय में किये गये आवंटन के विरुद्ध धारा 22(3) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रार्थी स्टेट की ओर से मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है जहां मियाद का प्रावधान नहीं है वहां आर्टिकल 137 के तहत मुकदमा प्रस्तुत करने की अवधि 3 वर्ष है। 8 वर्ष बाद धारा 22 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। आवंटन किन नियमों के विरुद्ध है। इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः प्रकरण धारा 22(3) की परिधि में नहीं आता है। आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने 1982 आरआर डी पेज 203, 2002 आरबीजे पेज 193, 2001 आरआरडी पेज 134 2019 आरआरजे पेज 226 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी को वादगत भूमि का आवंटन विनिमय में हुआ है। स्टेट की ओर से तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में आवंटन नियम विरुद्ध होने के समर्थन में कोई प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रकरण में हम राजस्थान उपनिवेशन(इगानप परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अन्तर्गत पुनः जांच करना उचित समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र की प्रति मय अनुलग्नको के तहसीलदार, बज्जु को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमों के परिपेक्ष्य में प्रकरण की विस्तृत जांच करे। प्रकरण अगर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथ्य छुपाकर विधि विरुद्ध आवंटन का बनता है तो एक माह में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से पुनः प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जिला अभिलेखागार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे।
8. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीबीकेए नेर